

पत्र संख्या : : ८/४७०१ यो०ज०सं०-०७/२०१८ २२९  
 झारखण्ड सरकार  
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
 अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना/मुख्य अभियंता, राँची/चाण्डील कम्पलेक्स ;  
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक २६/४/१९

विषय :- मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष-५४-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य विपत्र कोड-४९४७०१८०७९६५४०५५ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-१९/१७-१८, दि.-२७.०६.१७, ०५/१७-१८, दि.-२४.०४.२०१७, ३८/१७-१८, दि.-१५.०९.१७, ०४/१६-१७, दि.-१२.०४.१६, ९६/१६-१७, दि.-२९.०३.१७, ०३/१६-१७, दि.-१२.०४.१६, ८९/१६-१७, दि.-१६.०३.१७, ९५/१६-१७ दि. २९.०३.१७ एवं ८०/१८-१९, दि.-१८.०३.१९

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-(राशि लाख ₹ में)

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7 (५+६)
1.	४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/८०-सामान्य	७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ५४-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	०५-निर्माण, ४५-निर्माण कार्य विपत्र कोड-४९४७०१८०७९६५४०५५	९६.७४	४१०.७६	५०७.५०

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के बजट उपबंध ₹. २००००.०० लाख (दो सौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १६८१ दि. १०.०६.२०१५ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट-२, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिषेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा रखयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रखयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

२६.३.१९


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
 संयुक्त सचिव

(हेमन्त कुमार)  
 अभियंता प्रमुख-१

- 2 / 2
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
  9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
  10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
  11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्यय पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
  12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
  13. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से समर्पित करेंगे।
  14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


  
 (अरुण कुमार सिंह) 26.3.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 229

राँची, दिनांक :—

26/3/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिन्दू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/गुमला/चाईबासा/घाटशिला/जमशेदपुर/बुण्डु सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार अनुलग्नक—यथोक्त्।

  
 (अरुण कुमार सिंह) 26.3.19  
 अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :— 229

राँची, दिनांक :—

26/3/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रशास्या—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
 (सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

  
 (हेमन्त कुमार)  
 अभियंता प्रमुख—I

  
 (अरुण कुमार सिंह) 26.3.19  
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक ..... 229 ..... दिनांक ..... 26/3/19 ..... का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का हॉ. आर. एम.

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रु. 20000.00 लाख (दो सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			Online Allotment Access No.	अन्युकृति	
			प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जलपथ प्रमंडल, सं०-२, चैनपुर, जुला (GMLIRR008)	रांची	विशुनपुर वीयर योजना का दोरी एवं बंगी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षेत्रिक संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य	19/17-18 प्र०स्थी दिनांक-27.06.2017 Online AA-129/12.04.2017 876/03.07.2017	1936.000	0.000	400.00	330.00	730.00	105384		
जलपथ प्रमंडल, जुमला (GMLIRR001)	रांची	कतरी जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरआरएम) कार्य हेतु	03/16-17 प्र०स्थी दिनांक-12.04.2016 Online AA-129/12.04.2016	9177.350	6660.560	2200.00	150.00	2350.00	105391		
सिंचाई प्रमंडल, इपटु (RNCCR011)	रांची	रेसा वीयर योजना का ईआरएम कार्य।	80/18-19 प्र०स्थी, दिनांक-18.03.2019 Online AA-2439/18.03.2019	670.340	342.84	300.00	27.50	327.50	105395		
			कुल योग	2900.00	507.50						

आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
ज्ञप सचिव (आमी)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

(हेमत कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

26.3.19

माँग संख्या-49—जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप-मुख्य शीष-८०-सामान्य,

लघु शाष्ठी-७९६-जन-जातीय क्षत्र उपचाजना,

३५ श्रीष्ठि-५४-पूर्व सत्ताह आजन के सो ज्ञान इह-

वैस्तुत शब्द-उड़-नमा-ग, 45-नमा-ग काथ पृष्ठे काड़-दृष्टिगृहीत नमा-ग (जो एक व्यंजन) यानि

વત્તાદ વર્ષ 2018-19 નું પ્રાપ્ત ઉપબલ રૂ. 20000.00 આંત્ર (દિન માટે ફરજ) નાન

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	पूर्व का आवंटन	प्रत्यागत राशि	संशोधित आवंटन	Online Allotment Access No.	अनुदित
				प्रसंग	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल, सं-2, चैन्नाय, यूमला (GMLIRR008)	राँची	मसरिया जलाशय योजना का डैम की मरमाति, दौँयी एवं बाँधी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षेत्रप्रस्त संरचनाओं के जीणोंद्वार कार्य के लिए	05 / 17-18 प्र.स्वी., दिनांक-24.04.2017	1618.597	25.30	1000.00	145.56	854.44	84029	
2	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)	राँची	तोरलो जलाशय योजना का पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य	38/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-15.09.2017 Online A.A-13/11/15.09.2017	5297.000	0.000	1150.00	139.65	1010.35	74787	
2	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)	राँची	रोसो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य हेतु	04/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -12.04.2016 Online A.A- 22/5/26.02.2018	6670.430	2087.310	3000.00	38.21	2961.79	84026	
3	लघु वितरण प्र० सं-10, घटरिला (JSRIRR022)	चापिडल	योजना के नहर के जीणोंद्वार तथा लाईनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	95 / 16-17 प्र.स्वी., दिनांक-29.03.2017	673.680	157.75	300.00	74.65	225.35	30235	
				योग	281.86	477.45	80.34	397.11			
				कुल योग	6327.45	410.76	6116.69				

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल प्रत्यापित राशि – ₹ चार करोड़ दस लाख छियहत्तर हजार मात्र

(राशि लाख र में

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

(हेमन्त कुमार)

(अर्णु कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिवा